

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/2025/482/21

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत जीवन विज्ञान संकाय अन्तर्गत वनस्पतिशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यवाधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

वनस्पतिशास्त्र अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक	1.	रिक्त
28(2) दो	1.	डॉ. आई.पी. प्रजापति विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र विभाग सं.गां.स्मू. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
	2.	डॉ. के.के. अग्निहोत्री विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र विभाग ईश्वरचन्द्रविद्यासागरमहाविद्यालय जवा, जिलारीवा(म.प्र.)
28(2) तीन	1.	रिक्त
28(2) चार	1.	डॉ. अमृता सिंह विभागाध्यक्ष, वनस्पतिशास्त्र विभाग, सं.गां.स्मू. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
	2.	
28(2) पाँच	1.	डॉ. नीता तिवारी विन्ध्यांचल महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
	2.	डॉ. रश्मि अर्नाल्ड प्राध्यापक, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत डॉ. आई.पी. प्रजापति को वनस्पतिशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)